तारीख हुक्म

मु॰ नं॰ 2/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

इन्तकाल: रहमुद्दीन बनाम समसू

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

केम्प कोर्ट: मालाखेड़ा दि॰ 8.5.17

आज पत्रावली पेश हुई। वादी अनु॰/ वादी के बाद प्रा॰पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct का इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख॰नं॰ 2283 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 4203 रकबा 07 एयर 4204 रकबा 1.54 हैक्टेयर व 4207/4907 रकबा 06 एयर किता 03 रकबा 1-67 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में प्रार्थी के पिता जल्लू एवंम अप्रार्थी सं॰ 1 व 2 के पिता श्री अलीखां दोनो सगे भाई थे। जिनको अपने पिता स्व॰ मामला के स्वर्गवास के बाद विरासत में मिली थी तथा जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 एवं सम्वत 2047 से 2050 में विवादित आराजी समसू मजहर पि॰ अलीखां समभाग ना बा॰ सरपरस्त माता चन्दरी हिस्सा 1/2 व जल्लू पुत्र मामला हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड थी। इसके बाद बन्दोबस्त सम्वत 2051 में विवादित आराजी को बन्दोबस्त कर्मचारियों ने अप्रार्थी सं॰ 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया और पिता जल्लू पुत्र मामला का नाम हटा दिया। प्रार्थी के पिता जल्लू का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी अपने पिता का इकलौता पुत्र है। विवादित आराजी का अभी तक बंटवारा नही हुआ है, मौके पर शामिल रहकर काश्त करते चले आरहे हैं। अप्रार्थी नं॰ 1 व 2 की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी नही है अप्रार्थी नं॰ 1 व 2 के नाम का कलमजद करवाकर उनके स्थान 1/2 हिस्सा प्रार्थी व खातेदारी अलिकाइन्दी का नाम दर्ज रिकॉर्ड करवावे तथा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

सहायक कलक्टर
अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया सम्वत 2051 से पूर्व साबिक ख.नं. २२२३ मि ६।।।) से हाल ख.नं. ४२०३|००६, ४२०४|१-२४, ४२०६|४४२१|0.0६ किता ३ कुल रकबा १.६६ एयर बना। जिसमें समसू कपूर पि. अलीखां स.भा. मेव सा० खारेडा नाबालिग सरपरस्ती माता चन्दी खुद खातेदार दर्ज है एवं हाल जमाबन्दी सम्वत 2070 में समसू कपूर पि. अलीखां स.भा. मेव सा. खारेडा खातेदार रहीन SBBJ मालाखेड़ा कु.कि.क्र. खातेदार दर्ज है।	
	उपरोक्त समस्त विवेचन से अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नही होता है कि इसके पिता का नाम पूर्व में दर्ज था, पुराना कब्जा होने का भी कोई सबूत पेश नही किया वहीं यह भी उल्लेख करना हम उचित समझते है कि हम धारा 212 RJ Act का निर्णय कर रहे है।	
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हाल ख.नं. २२२३ मि. रकबा ६।।।) हाल ख.नं. ४२०३|००६ ४२०४|१.२४, ४२०६|४४२१|0.0६ किता ३ कुल रकबा १.६६ एयर वाके ग्राम मालाखेड़ा तह मालाखेड़ा को नाकाबिल दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर बाद प्रति मूल वाद के साथ संलग्न हो।	
	सेवानिवृत तहसीलदार बैंच सदस्य राजस्व लोक अदालत	
	एडवोकेट बैंच सदस्य राजस्व लोक अदालत	